



अटल बीमति वयकतकिलयाण योजना

अटल बीमति वयक्तकिलयाण योजना

हाल ही में '[करमचारी राज्य बीमा नगिम](#)' (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) की 182वीं बैठक के दौरान 'अटल बीमति व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana- ABVKY) के पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं।

- ESIC, द्वारा कथि गए ये बदलाव COVID-19 महामारी द्वारा प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा नगिम, एक बहुआयामी सामाजिक प्रणाली है जो श्रमिक आबादी को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दशा में कार्य करती है।

- अटल बीमति व्यक्ति कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई, 2018 को किया गया था।
- योजना के तहत बीमति व्यक्तियों को बेरोज़गारी की दशा में नकद मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।
- योजना का कार्यान्वयन 'करमचारी राज्य बीमा निगम' द्वारा किया जा रहा है।
- योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

- ABVKY, योजना को एक वर्ष की अवधि अर्थात 30 जून 2021 तक के लिये वसतिारत करने का नरिणय लललल है ।
- जनल शरुतकीं ने COVID-19 ढहलारी के दौरान अढना रोज़गार खो दललल है, उन्हें योजना के तहत वदललढान शरुतों एवं राहत की राशलमें छूट देने का नरिणय लललल गललल है ।
- योजना के तहत दी जाने वाली छूट की शरुतें 24 ढारुु, 2020 से 31 दसलंडर 2020 तक की अवधलके लललल उपलढुध रहेगी ।
- 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधलके दौरान योजना ढुल ढातरता शरुतों के साथ उपलढुध होगी ।

मूल योजना के तहत मानदंड	संशोधित मानदंड
■ योजना के तहत प्रत्येक दिन की औसत कमाई के 25% (पछिली चार योगदान अवधि के लिये) तक राहत प्रदान की जाती है। ■ बीमति व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार में अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये भुगतान किया जाता है। ■ बेरोज़गारी के 90 दिनों के बाद राहत भुगतान किया जाएगा। ■ करमचारी के संबंध में योगदान, न्योक्ता द्वारा भुगतान या देय होना	■ अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये, योजना के तहत भुगतान राशिको औसत मज़दूरी के 25% से बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया गया है। ■ पहले बेरोज़गारी के 90 दिनों के बाद राहत भुगतान किये जाने के बजाय अब 30 दिनों के बाद भुगतान किया जाएगा। ■ बीमति व्यक्ति अंतिम न्योक्ता द्वारा अग्रेषित किये जा रहे दावे के

चाहिये।

- बीमति व्यक्तिको दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये बीमा योग्य रोज़गार में होना चाहिये। बीमति व्यक्तिको पूर्ववर्ती चार योगदान अवधि के दौरान कम-से-कम 78 दिनों का योगदान होना चाहिये।

बजाय सीधे ESIC शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है और भुगतान सीधे बीमति व्यक्तिके बैंक खाते में किया जाएगा।

- बीमति व्यक्तिको उसकी बेरोज़गारी से पूर्व कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के लिये बीमा योग्य रोज़गार में होना चाहिये तथा उसका बेरोज़गारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान नहीं होना चाहिये। बेरोज़गारी से 2 वर्ष पहले की शेष तीन योगदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिये।

योजना के तहत अन्य शर्तें:

- ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम- 1948 की धारा 2 (9) के तहत कवर हैं।
- बीमति व्यक्तिको (Insured Person- IP) को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोज़गार होना चाहिये।
- बेरोज़गारी का कारण दुराचार, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं होना चाहिये।
- बीमति व्यक्तिके आधार कार्ड और बैंक खाते को उसके डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिये।
- यदि बीमति व्यक्तिके से अधिक नियोक्ता के लिये कार्य कर रहा है और उस कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल तभी बेरोज़गार माना जाएगा, जब वह सभी नियोक्ताओं के यहाँ बेरोज़गार है।
- बीमति व्यक्तिके ही अवधि के लिये किसी भी अन्य नकद मुआवज़े और ABVKY के तहत राहत का एक साथ लाभ नहीं ले सकेगा।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/atal-bimit-vyakti-kalyan-yojana>

